राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX-2385877 Help Line)

आवश्यक सूचना

क्रमांकः रालसा/2016/20127 दिनांकः– 19.12.2016

विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा विधिक जागरुकता के प्रचार व प्रसार के लिए दिनांक 06.12.2016 को 30 पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स (पी.एल.वी) के चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 21.12.2016 थी, अपरिहार्य कारणों से पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स की आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 21.12.2016 से बढ़ाकर दिनांक 16.01.2017 की जाती है।

19/12/16

एस.के.जैन.
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांकः रालसा/2016/20128-42 दिनांकः– 19.12.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है–

1. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर/जयपुर जिला।
2. नोटिस बोर्ड, ए.डी.आर. सेन्टर, जयपुर महानगर।
3. नोटिस बोर्ड, कलक्ट्रेट, बनीपार्क, जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड, जिला परिषद, जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त मीडिया।
7. नोटिस बोर्ड, सिविल न्यायालय, आमेर/चाकसू/बस्सी/सांगानेर/चौमू।
8. नोटिस बोर्ड, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय आमेर/चाकसू/बस्सी/सांगानेर/चौमू।
9. नोटिस बोर्ड, विभिन्न विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
10. नोटिस बोर्ड, नगर निगम कार्यालय, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर।
11. नोटिस बोर्ड, जन सूचना संपर्क केन्द्र, जयपुर।
12. नोटिस बोर्ड, वन स्टॉप क्राइसिस सेन्टर फॉर वीमेन, जयपुरिया अस्पताल (अपर जिला सेन्टर) मालवीय नगर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
13. नोटिस बोर्ड, विभिन्न महिला संगठन, जयपुर।
14. नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष, दी बार एसोसिएशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर जिला।
15. नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष, दी बार एसोसिएशन, जयपुर महानगर।

19/12/16
सदस्य सचिव

Upload

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(फोन : 0141-2227481,2227555, फैक्स : 2227602, टोल फ्री हेल्पलाईन : 15100)
ईमेल:–rj-slsa@nic.in वेब साईट:–www.rlsa.gov.in

क्रमांक : 301 दिनांक : 06-12-16

पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स की नियुक्ति हेतु आम सूचना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा जारी किये गये Scheme for Para-Legal Volunteers (Revised) & NALSA (Legal Services Clinics in Universities, Law Colleges and Other Institutions) Scheme, 2013 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा विधिक जागरूकता के प्रचार प्रसार हेतु 30 पैरा लीगल वॉटीयर्स (पी.एल.वी) के पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

पैरा लीगल वॉलंटीयर्स राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। पैरा लीगल वॉलीन्टयर्स विधिक सेवा क्लिनिक का संचालन करेंगे तथा आमजन एवं विधिक सेवा संस्थाओं के मध्य कडी का कार्य करेंगें व पैरा लीगल वॉलीन्टयर्स को राजस्थान राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदेय का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। पीएलवी की नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष के लिये की जावेगी।

(1) **शैक्षणिक योग्यता** : आवेदक का शिक्षित होना आवश्यक है। वरीयता का आधार आवेदक का दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

(2) आवेदन पत्र इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।

(3) **परीक्षा** : आवेदकों का प्रशिक्षण हेतु चयन करने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा व प्रशिक्षण के पश्चात पी.एल.वी. की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार लिया जाकर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त पी.एल.वी. माना जाकर सफल घोषित किया जायेगा। सफल घोषित किये जाने के पश्चात उन्हें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा जिसमें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा।

(4) **चरित्र** : आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के सम्बधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(5) शारीरिक योग्यता : आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।

(6) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे :

1– जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

2– शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।

3– दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

4– आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।

5– जाति प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति।

(7) आवेदन की अन्तिम तिथिः आवेदन पत्र राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में दिनांक 21-12-16 .... को सायं 5.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(8) पात्रता : पी.एल.वी. चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शोर्टलिस्टंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पी.एल.वी के लिये निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हो सकते है:–

1. सेवारत एवं सेवानिवृत शिक्षक
2. सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक
3. एम.एस.डबल्यू. छात्र/छात्राएं व अध्यापक
4. आंगनबाडी कार्यकर्ता
5. चिकित्सकगण
6. विधि छात्र (जब तक वे अधिवक्ता के तौर पर अपना नामांकन नहीं कराये)
7. गैर राजनीतिक स्वयं सेवा समूह, सेवा हेतु समर्पित एनजीओ एवं क्लब के सदस्यगण
8. महिला संगठनों के कार्यकर्ता, मैत्री संगम
9. पिछड़े तबकों के लिए कार्य कर रहे स्वयं सेवी समूहों के सदस्यगण
10. समाजसेवी व सामाजिक कार्यकर्ता
11. शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हा
12. अन्य व्यक्ति जिसे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम व योग्य समझे।

<u>चयनित पी.एल.वी. के कर्तव्य (ड्यूटी) :</u>

1– समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।

2– विधिक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस पर निर्धारित समय अवधि में उपस्थित रहेगा।

3– आम नागरिकों के विवादों को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।

4– पी.एल.वी अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों का विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी देगा, इनका प्रसार करने में कोई कसर नहीं रखेगा।

5– केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद पीएलवी निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा।

6– प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुरूप लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बतायेगा।

7– लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने में लाभार्थियों की मदद करेगा।

4– पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।

4– पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।

5– राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।

6– बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था अथवा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी देना।

7– विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि–लीटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।

8– पी.एल.वी. द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।

9– पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल सम्बन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।

10– पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचार व प्रसार करना।

(9) **अंतिम तिथि :** आवेदनकर्ता निर्धारित (संलग्न) प्रारूप में आवेदन भरकर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर में दिनांक 21-12-16 सांय 5:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। आवेदन निःशुल्क होगा।

(10) **स्पष्टीकरण :** चयनित पी.एल.वी. को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा समय समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पेकेज नहीं दिया जायेगा।

(11) नोटः

1. निम्नलिखित व्यक्ति पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैः—
   अधिवक्तागण राजनीतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुडे हुए व्यक्ति राजनीतिक संगठनों से जुडे हुए व्यक्ति, एन.जी.ओ. के कार्यकर्ता, किसी अपराध का अभियुक्त हो, ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से पैरालीगल वॉलेन्टीयर का कार्य करने में असक्षम हों, ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्ति हित किसी भी आधार पर पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स स्कीम के हितों को प्रभावित करते हों।
2. पी.एल.वी. की नियुक्ति तथा हटाने से संबंधित सम्पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पास सुरक्षित रहेंगें।
3. आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

06/12/16

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक : 18707 - 18730 दिनांक : 07-12-2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1— नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर/जयपुर जिला
2— नोटिस बोर्ड, एडीआर सेन्टर, जयपुर महानगर
3— नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट, बनीपार्क, जयपुर
4— नोटिस बोर्ड, जिला परिषद, जयपुर
5— नोटिस बोर्ड, मिनी सचिवालय, जयपुर
6— समस्त मीडिया
7— नोटिस बोर्ड सिविल न्यायालय आमेर/चाकसू/बस्सी/सांगानेर/चौमू
8— नोटिस बोर्ड, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय आमेर/चाकसू/बस्सी/सांगानेर/चौमू
9— नोटिस बोर्ड विभिन्न विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय
10— नोटिस बोर्ड नगर निगम कार्यालय, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर
11— नोटिस बोर्ड जन सूचना सम्पर्क केन्द्र, जयपुर
12— नोटिस बोर्ड वन स्टॉप क्राइसिस सेन्टर फॉर वीमेन, जयपुरिया अस्पताल (अपराजिता सेन्टर) मालवीय नगर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
13— नोटिस बोर्ड विभिन्न महिला संगठन जयपुर
15— नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष दी बार एसोसियेशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर जिला
16— नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष दी बार एसोसियेशन जयपुर महानगर।

06/12/16
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

<u>पैरा लीगल वॉलंटीयर्स (पी.एल.वी.) के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

	अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो

1— नाम आवेदक :— ....

2— पिता/पति का नाम :— ....

3— आवेदक के पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित है तो) (यदि आवेदक अविवाहित है तो स्पष्टतः "अविवाहित" लिखें) :— ....

4— जाति :— ....

5— संवर्ग—सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (जिस संवर्ग से संबंधित हो वो लिखें) :— ....

6— स्थायी पता मय दूरभाष/ :— ....
मोबाईल नम्बर :— ....

7— वर्तमान पता :— ....

8— निकटतम पुलिस स्टेशन :— ....

9— जन्म तिथि (अंकों में) :— ....
(शब्दों में) :— ....
वर्तमान आयु :— ....

10— शैक्षणिक योग्यता :— ....

11— यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत हुए :— ....

12— आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं यदि है तो पूर्ण विवरण :— ....

13— राष्ट्रीयता :— ....

14— आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, N.G.O. या किसी विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण लिखें :— ....

15— यदि आवेदक पी.एल.वी. के रूप में कार्य कर रहा है/कर चुका हो, तो उसका विवरण :— ....
....
....

नोटः— आई.डी.प्रूफ व शैक्षणिक योग्यता हेतु स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं .... सत्यापित करता/करती हूं कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है। मैं किसी भी राजनीतिक दल से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ/जुड़ी हुई नहीं हूं।

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)